राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
127/18	18.05.2018	18.09.2018

अनुवान

1. प्रभात पुत्र हनूता
2. अनारली पत्नी रामकरण
3. ब्रहप्रकाश
4. ओमप्रकाश
5. सुरेन्द्र कुमान पुत्रान रामकरण
6. अनोखी
7. सुशीला
8. कबुल
9. कमलेश पुत्रीयान रामकरण जातियान अहीरान निवासीयान बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
10. कुन्ता देवी पत्नी सरदारा
11. रामगिरी
12. धनपति
13. सुमन
14. धोली पुत्रीयान सरदारा
15. किशनलाल पुत्र सरदारा जातियान अहीर निवासीयान खोहरी तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।

:–वादीगण

बनाम

1. थावरमल पुत्र उधोमल
2. पेहूमल उर्फ तिर्थदास पुत्र खट्टनमल उर्फ खानमल जाति खत्री निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर,राज0।
4. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर,राज0।

:– प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

दावा– अन्तर्गत धारा 88,89,188
राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति :
1. श्री रणबीर सिंह यादव वकील–वादीगण

–:: निर्णय::–

दिनांकः– 18.09.2018

आज यह वाद पत्र पत्रावली सुनाये जाने वास्ते निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वादपत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0न0 2676/1.11 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। हाल ख0न0 2676/1.11 है0 साबिक ख0न0 1433 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा से पैमूद हुआ है जो वादीगण की खरीदशुदा आराजी है एवं प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसे प्रतिवादीगण ने बैयनामा बऐवज प्रतिफल एवं बाकब्जा वादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 18.12.1968 के अपने समस्त हक हकूक वादीगण के पक्ष में हस्तांतरण कर दिये थे। आराजी वादी संख्या 1 ने 1/3, वादी सख्या 2 लगायत 9 के पति/पिता रामकरण ने 1/3 एवं वादी संख्या 10 लगायत 15 के पति/पिता सरदारा पुत्र जगन ने 1/3 भाग खरीद की है। प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार रहे है जिन्हे हस्तांतरण का पूर्ण अधिकार रहा है। आराजी मुतनाजा में अब प्रतिवादीगण के कोई अधिकार एवं कब्जा नहीं है ना ही राईट एण्ड टाईटल शेष ही रहे है। वादीगण ग्रामीण व्यक्ति थे जो बैयनामा कराने के बाद मूल बैयनामा पटवारी हल्का को इंतकाल दर्ज करने हेतु दे दिया था। परंतु पटवारी हल्का ने इंतकाल दर्ज क्यों नहीं किया कि वादीगण को कोई सूचना नहीं दी और करीब छः माह बाद मूल बैयनामा यह कहते हुये लौटा दिया कि इंतकाल तुम्हारे नाम दर्ज कर दिया है। अब दिनांक 06.11.2017 को रिकार्ड की नकलें लेने गये तो हमें उक्त ख0न0 से दीगर व्यक्ति से विनिमय करना है तो पटवारी हल्का ने बताया कि आराजी अभी तक प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है। इस पर हमने प्रतिवादीगण को तलाश किया लेकिन प्रतिवादीगण अरसा दराज पूर्व ग्राम मुण्डावर छोडकर अज्ञात स्थान पर चले गये। उनके बारे में काफी तलाश करने के बाद भी उनके स्थान व जीवित या मृत होने की

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

कोई सूचना नहीं मिली। राजस्व रिकार्ड में अनाधिकार प्रतिवादीगण/विक्रेता का नाम रहने से वादीगण के अधिकार जायल होने का खतरा बना हुआ है। प्रतिवादीगण या उनकी फौतगी होने की स्थिति में उनके वारिसान गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर आराजी को पुनः मुंतकिल बाला बाला कर गये तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए प्रतिवादीगण या उनके वारिसान को जर्ये हु0ई0दवामी पाबंद किया जाना न्यायसंगत है का निवेदन करते हुए वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज हाल आराजी ख0न0 2676/1.11 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर का वादी संख्या 1 को 1/3 भाग, वादी संख्या 2 लगायत 9 को संभाग में 1/3 भाग एवं वादी संख्या 10 लगायत 15 को संभाग में 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण के नाम कलमजन किये जाकर उपरोक्त हिस्से अनुसार इन्द्राज किये जाने एवं प्रतिवादीगण को डिक्री हु0ई0दवामी से पाबंद किया जावे कि वे उक्त विवादित आराजी को कही रहन बैय इत्यादि से मुंतकिल ना करें एव ना ही वादीगण के काश्तकार्य में किसी भी प्रकार से मजामहत ही पैदा करें का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं जवाब सरकार प्रस्तुत किये जाने बाबत बार बार अवसर उपरांत जवाब सरकार पेश नहीं किये जाने की स्थिति में सरकार के जवाब पेश करने का अवसर समाप्त किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रभात पीडब्ल्यू–1, किशनलाल पीडब्ल्यू–2, सुंडा पीडब्ल्यू–3 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल बैयनामा दिनांक 18.12.1968 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत् 2069–72 प्रदर्श–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीगण के वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुए वकील वादी का निवेदन रहा कि उक्त विवादित आराजी साबिक ख0न0 1433 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा को जर्ये बैयनामा दिनांक 18.12.1968 के वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 2 लगायत 9 के पति/पिता रामकरण एवं वादी संख्या 10

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

लगायत 15 के पति/पिता ने प्रतिफल अदा कर आराजी का कब्जा प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 खातेदारान से खरीद किया था एवं वक्त खरीद से आज तक वादीगण शांतिपूर्वक काबिजकाश्त आराजी है। उक्त आराजी से दीगर व्यक्ति से विनिमय करने की स्थिति में पटवारी हल्का से रिकार्ड की नकलें लिये जाने के वक्त उक्त आराजी के वादीगण के नाम नहीं होने की जानकारी मिली। जिस पर प्रतिवादीगण को काफी तलाश किया गया, क्योंकि प्रतिवादीगण अरसा दराज से ग्राम मुण्डावर छोडकर अज्ञात स्थान पर चले गये एवं उनके स्थान व जीवित या मृत होने की कोई सूचना नहीं मिली। प्रतिवादीगण या उनकी फौतगी होने की स्थिति में उनके वारिसान गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर आराजी को बाला बाला पुनः मुंतकिल कर गये तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी का निवेदन करते हुए मुताबिक वादपत्र वादीगण के वाद को बहकवादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने का कथन रहा।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 18.12.1968 प्रदर्श–1 से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित आराजी का बेचान किया जाना स्पष्ट साबित है और साबिक ख0न0 1433 से पैमूद हुये हाल ख0न0 2676 वाके ग्राम मुण्डावर के बाबत वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 से भी स्पष्ट साबित है एवं इसी प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी 2069–72 प्रदर्श–3 से भी हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम का बतौर खातेदार के अंकन से भी वादीगण का वाद स्पष्ट साबित है। इस प्रकार वादीगण ने अपने वादपत्र को सुसगंत दस्तावेजात से स्पष्ट रूप से साबित किये जाने की स्थिति में यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0न0 2676 रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकार्ड में हो रहे प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजी ख0न0 2676 का वादी संख्या 1 को 1/3 भाग का व वादी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) रा.

Scanned by CamScanner

संख्या 2 लगायत 9 को संभाग में 1/3 भाग का एवं वादी संख्या 10 लगायत 15 को संभाग में 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादीगण को जर्ये हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे हाल राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत अंकन के आधार पर उक्त आराजी को कही रहन, बैय, हिबा आदि प्रकार से मुंतकिल ना करें, ना ही वादीगण के कुल कार्य काश्तकारी में किसी भी प्रकार की मजामहत पैदा ना करें पाबंद रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
127/18	18.05.2018	18.09.2018

अनुवान

1. प्रभात पुत्र हनूता
2. अनारली पत्नी रामकरण
3. ब्रहप्रकाश
4. ओमप्रकाश
5. सुरेन्द्र कुमान पुत्रान रामकरण
6. अनोखी
7. सुशीला
8. कबुल
9. कमलेश पुत्रीयान रामकरण जातियान अहीरान निवासीयान बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
10. कुन्ता देवी पत्नी सरदारा
11. रामगिरी
12. धनपति
13. सुमन
14. धोली पुत्रीयान सरदारा
15. किशनलाल पुत्र सरदारा जातियान अहीर निवासीयान बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:–वादीगण

बनाम

1. थावरमल पुत्र उधोमल
2. पेहूमल उर्फ तिर्थदास पुत्र खट्टनमल उर्फ खानमल जाति खत्री निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर,राज0।
4. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर,राज0।

:– प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर
राजस्व वाद संख्या :– 127/18
प्रभात बनाम थावरमल
निर्णय दिनांक :– 18.09.2018

दावा– अन्तर्गत धारा 88,89,188
राज0काश्त0अधि0 1955

–::पर्चा डिक्री::–

दिनांकः– 18.09.2018

वादीगण की ओर से **श्री रणबीर सिंह यादव** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 18.09.2018 को **साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

आराजी ख0न0 2676 रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकार्ड में हो रहे प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजी ख0न0 2676 का वादी संख्या 1 को 1/3 भाग का व वादी संख्या 2 लगायत 9 को संभाग में 1/3 भाग का एवं वादी संख्या 10 लगायत 15 को संभाग में 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादीगण को जर्ये हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे हाल राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत अंकन के आधार पर उक्त आराजी को कही रहन, बैय, हिबा आदि प्रकार से मुंतकिल ना करें, ना ही वादीगण के कुल कार्य काश्तकारी में किसी भी प्रकार की मजामहत पैदा ना करें पाबंद रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 18.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner